(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

अधिसूचना सं0 10/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 08 जून, 2015

सा0 आ0 (अ0) विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, आईटीसी (एचएस) 2012–अनुसूची–1 (आयात–नीति) के अध्याय–8 के आईटीसी (एचएस) कोड 08028010, 08028020, 08028030 तथा 08028090 के अन्तर्गत सुपारी की आयात नीति को निम्नानुसार संशोधित करती हैः–

आईटीसी (एचएस) 2012–अनुसूची–1 (आयात–नीति) के अध्याय–8 के निम्नलिखित एक्जिम कोड के तहत सुपारी के सीआईएफ मूल्य 'मौजूदा 110 रु0 एवं उससे अधिक प्रति किलोग्राम' को संशोधित कर '162 रु0 एवं उससे अधिक प्रति किलोग्राम' किया जाता है। संशोधित प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगीः–

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	नीतिगत शर्त
	सुपारीः		
08028010	सम्पूर्ण	मुक्त	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 162 रु0 और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।
08028020	विखंडित	मुक्त	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 162 रु0 और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।
08028030	पिसी हुई	मुक्त	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 162 रु0 और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।
08028090	अन्य	मुक्त	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 162 रु0 और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।

2. इस संशोधन का प्रभावः

सुपारी के आयात हेतु न्यूनतम मूल्य को मौजूदा 110 रु0 से बढ़ाकर 162 रु0 प्रति किलोग्राम किया जाता है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/89/180/0043/एएम01/पीसी–2 (क) (खण्ड–II) से जारी)